

प्रक.

आरुकोमिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अग्र विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर, 2007

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लोअवि0वि0/सम्ब0/519/2007, दिनांक 22.10.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल श्री विनायक महाविद्यालय, खजुराहट, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत बीएपीएड पाठ्यक्रम में 50 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-10(22)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में द्र्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
4. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।

भवदीय,

(आरुकोमिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-4326(1)/सत्तर-6-2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, तिलकनगर, शांतिपुर, जयपुर।
4. प्रवक्ता, श्री विनायक महाविद्यालय, खजुराहट, फैजाबाद।
5. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आरुकोमिश्र)
अनु सचिव।